

25 जनवरी, 2021 से लेकर Baden-württemberg राज्य के कोरोना विनियमन में परिवर्तन

मास्क की आवश्यकता

निम्नलिखित क्षेत्रों में FFP2 (भी KN95 या N95) या सर्जिकल मास्क पहनने की बाध्यता:

- 1• स्थानीय सार्वजनिक परिवहन (ट्रेन, बस, टैक्सी, यात्री विमान)
- 2• डॉक्टर के पास
- 3• जब खरीदारी करते समय
- 4• काम पर
- 5• चर्च सेवाओं में
- 6• ओर अस्पतालों या नर्सिंग होम में: केवल FFP 2 मास्क के साथ जाने की आगय है। 7• 14 वर्ष तक के बच्चे कपड़े का मास्क पहन सकते हैं।
- 8• ओर 5 तक के बच्चों को मास्क जरूरी नहीं है।

आगे के परिवर्तन

सार्वजनिक स्थानों और शहर के केंद्रों में शराब (बिक्री और उपभोग) की सखत मनाही (प्रतिबंधित) है। शराब केवल बंद बोतलों में बेची जा सकती है।

Registered चर्च की घटनाओं (अंतिम संस्कार, आदि) को दो दिन पहले पंजीकृत होना चाहिए अगर 10 से अधिक प्रतिभागी हों।

Änderungen der Corona-VO des Landes Baden-Württemberg zum 25.01.2021

Maskenpflicht

- Pflicht zum Tragen von FFP2 (auch KN95 oder N95), bzw. OP-Masken in folgenden Bereichen:
 - Öffentlicher Nahverkehr (Zug, Bus, Bahn, Taxi, Passagierflugzuge)
 - Beim Arzt

- Beim Einkaufen
- Auf Arbeit
- Bei Gottesdiensten
- In Krankenhäusern oder Pflegeheimen: Zutritt nur mit FFP2-Maske
- Kinder bis 14 dürfen Stoffmasken tragen
- Kinder bis 5 müssen keine Maske tragen

Weitere Änderungen

- Alkohol (Verkauf und Konsum) ist auf öffentlichen Plätzen und in Innenstädten verboten. Alkohol darf nur in geschlossenen Flaschen verkauft werden.
- Veranstaltungen der Kirche (Beerdigungen etc.) müssen bei über 10 Teilnehmenden zwei Tage vorher angemeldet werden.